

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

पत्रांक-4/आ0वि0-02-1022/2015-

राँची, दिनांक-

प्रेषक,

अभय नन्दन अम्बष्ठ,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं कनीय अभियन्ता के विरुद्ध कार्य को क्षति पहुँचाने एवं कर्तव्य का पालन नहीं करने संबंधित परिवाद पत्र के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक-978 दिनांक-23.05.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसंगवर्णित पत्र द्वारा प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में मामले की जाँच करायी गयी। जाँचोपरान्त पायी गयी गड़बड़ी के समीक्षोपरान्त निम्न कार्रवाई विभाग स्तर पर की जा रही है:-

- (1). सरकार की क्षति का निर्धारण कर दोषी पदाधिकारियों से वसूली की कार्रवाई।
- (2). दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

अतः प्रसंगवर्णित पत्र के आलोक में उक्त सूचना उपलब्ध करायी जा रही है।

विश्वासभाजन

801-

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-4/आ0वि0-02-1022/2015-

राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि:- श्री सुरेश सिंह, जयप्रकाश नगर, बरियातु, बुटी रोड़, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

801-

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-4/आ0वि0-02-1022/2015-

5226

राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि:- श्री नितिन कुमार, (IT codinator) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

20/11/17
(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।